

28/3/16

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वाली/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 28/12/16 को वास्ते काहरा पेश हो।
माफा प्राप्त शा.पदा. है
उप खण्ड अधिकारी

28/3/16

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वाली/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 18/11/17 को वास्ते पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

18/11/17

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वाली/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 11/2/17 को वास्ते पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी

11/2/17

पत्रावली लोक अदालत के पेश हुई। अल्पवक्ता
वाली/प्रतिवादी उपस्थित/बहस सुनी गई। सरकारी
पेशवात द्वारा रास्ते को अक्षत करि को
खरिज संभाषित होश बताया तथा अक्षरज
के खरि अक्षरजन्ता बिरौतियों को पक्षवात
नही बनने पर आपत्ति पेश की गई।
पत्रावली के निवमोकन से स्पष्ट है कि
चाहा गया रास्ते आ. नं 78 एवं 94
खरिज संभाषित कर है तथा खरिज विभाग
के प्रकरण के आवश्यक पक्षकार है जिसे
पापी द्वारा पक्षवात नही बनाया गया है।

| क्र.सं. हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------|---|---|
| | <p>आराजी नम्बर 78 व 74 रास्ते बाबत चाही गई है। दोनों आराजीय रिपोर्ट अंतर्गत खर्च से संबंधित वर्ष है जिसमें खर्च विभाग को पक्षकार बनाया गया आवश्यक है अतः उपरोक्त विवेचन से खर्च विभाग को पक्षकार नहीं बनाने से पत्रावली इसी स्तर पर जारी की जाती है। पत्रावली फंक्शन अंतर्गत लोक नम्बर से कने हो। क</p> | |